



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1120 सन् 2026

राम अवध यादव

.... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 14 अन्य

.....उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : धीरज कुमार यादव

उत्तरदातागण के अधिवक्ता : भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी., राकेश कुमार श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यहां पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को ध्यान में रखते हुए, उत्तरदाता/उत्तरदातागण को नोटिस नोटिस जारी करने से और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यद्यपि, यदि उत्तरदाता/उत्तरदातागण आदेश से व्यथित महसूस करते हैं तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने के उनके अधिकार को सुरक्षित रखा जाता है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि उत्तरदाता संख्या 2-उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, मछलीशहर, जिला जौनपुर को यह निर्देश दिया जाए कि वाद संख्या 3865 सन् 2015, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T20151436033865 का शीघ्रतापूर्वक निस्तारण करें।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि उत्तरदाता संख्या 2, उपरोक्त मामले का निर्णय विधि के अनुसार, अत्यन्त शीघ्रता से और अधिमानतः छह महीने की अवधि के भीतर करे, परन्तु ऐसा करते समय, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो, तब तक अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,)

फ़रवरी 3, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"